

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.7(7)(2)पंचा/रानिआ/2021/4063

दिनांक: 20.08.2021

शासन सचिव,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव 2021-आदर्श आचार संहिता -
कार्मिकों के स्थानान्तरण के संबंध में।

संदर्भ:-आपके आदेश क्रमांक:-

1. एफ 6(22)तशिनि/ई-1/सी-2/केम्प जयपुर 2 से 12, दिनांक 13.08.2021
2. एफ 6(22)तशिनि/ई-1/सी-2/केम्प जयपुर 14 से 24, दिनांक 13.08.2021
3. एफ 6(22)तशिनि/ई-1/सी-2/केम्प जयपुर 26 से 32, दिनांक 13.08.2021
4. एफ 8(100)त.शि./2019 दिनांक 13.08.2021, (02 आदेश)
5. एफ 8(110)त.शि./2019 दिनांक 13.08.2021, (05 आदेश)
6. एफ 8(110)त.शि./2019 पार्ट दिनांक 13.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों द्वारा विभिन्न अराजपत्रित/प्रवक्ता/वरिष्ठ प्रवक्ता/शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये हैं जिनके संबंध में आयोग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई। स्थानान्तरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिन 6 जिलों (जयपुर जोधपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं सिरोही) में आचार संहिता प्रभावी है। इसके उपरान्त भी इन जिलों में स्थानान्तरण किये गये हैं। इन स्थानान्तरणों में निम्न प्रकार के स्थानान्तरण ऐसे हैं जिनसे आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन प्रकट होता है-

1. इन 6 जिलों से अन्य जिलों में किये गये स्थानान्तरण।
2. अन्य जिलों से इन 6 जिलों में किये गये स्थानान्तरण।
3. इन 6 जिलों में किये गये परस्पर स्थानान्तरण तथा
4. इन 6 जिलों में से किसी एक ही जिले के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान/पद पर किया गया स्थानान्तरण।

उक्त चार Category में आने वाले सभी स्थानान्तरण आचार संहिता के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाते हैं। साथ ही विभाग से अपेक्षा की जाती है कि इन 06 जिलों में आचार संहिता के प्रभावी रहते (निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक) आयोग की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे कोई स्थानान्तरण नहीं किये जावें।

आज्ञा से,

चित्रा

20/8/2021

(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव